

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 25-3-15

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-24- नई योजनाओं का-भू-गर्भ जल सर्वेक्षण/ संरक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड- 50P470200101240759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष, के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष                                  | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                                                                                                 | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड                          | आवंटित राशि<br>(लाख रु. में) |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                       | 3                                                                                                                  | 4                                                 | 5                            |
| 1.   | 50-लघु सिंचाई विभाग /4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष - 24 -नई योजनाओं का-भू-गर्भ जल सर्वेक्षण/ संरक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण, | 07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय,<br>50P470200101240759 | 1.16450                      |

आवंटित राशि - ₹ एक लाख सोलह हजार चार सौ पचास मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2014-2015 के बजट उपबंध रु. 15.00 लाख (चन्द्रह लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

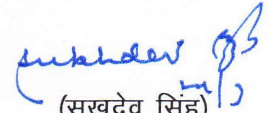
(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यर्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

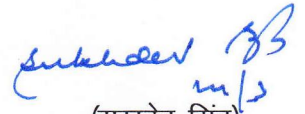
ज्ञापांक :-

299

राँची, दिनांक :- 25-3-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

299

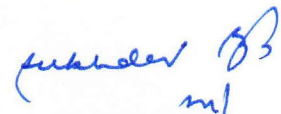
राँची, दिनांक :- 25-3-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

  
(मुक्ति साधन चौधरी)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

पत्रांक - 299 / रेंची, दिनांक - 25-3-15

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,  
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिय्य,  
लघु शीर्ष-101-सतही जल,  
उपशीर्ष-24-नई योजनाओं का भू-गर्भ जल सर्वेक्षण/संरक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण,  
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय,  
विपत्र कोड-50P470200101240759  
बजट उपबंध (वर्ष 2014-15) रू. 15.00 लाख

राशि (लाख रु. में)

| क्र.                                                | लघु सिंचाई प्रमंडल                                | जिला     | मुख्य अभियंता परिक्षेत्र  | योजना का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग |                                     | मार्च 2013 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन |               |           | On-line Allotment Access No. | अभ्युक्ति |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|
|                                                     |                                                   |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राशि                         | प्रसंग                              |                       | पूर्व का आवंटन                 | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन |                              |           |
| 1                                                   | 2                                                 | 3        | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                            | 7                                   | 8                     | 9                              | 10            | 11        | 12                           | 13        |
| 1                                                   | भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, हजारीबाग (HZBMR018) | हजारीबाग | भूगर्भ जल निदेशालय, राँची | Geophysical study up to depth of 100 meters of suitable site for bore well for artificial recharge of Ground Water by adopting innovative methodologies of Rain Water Harvesting & Submission of Report<br>Sample bottle made of poly plastic narrow mouth having built-in-washer in the cap | 3.4935                       | 77 / 14-15 प्र.स्वी. दि. 16.03.2015 | 0.00                  | 0.00000                        | 1.16450       | 1.16450   | 119496                       |           |
| आवंटित राशि - ₹ एक लाख सौलह हजार चार सौ पचास मात्र। |                                                   |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | योग                          |                                     |                       | 0.00000                        | 1.16450       | 1.16450   |                              |           |

(ऑफिकर नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति संकेतन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव